भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 654
सोमवार, 10 फरवरी, 2025 (21 माघ, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

देश में उड़ान यात्री कैफे

654. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश भर के विमानपत्तनों पर संचालित उड़ान यात्री कैफे की संख्या कितनी है और क्या इन विक्रय- केंद्रों को देश के अन्य विमानपत्तनों तक विस्तारित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन विक्रय केंद्रों की स्थापना के लिए विमानपत्तनों के चयन में क्या मानदंड अपनाए गए हैं और भविष्य में किन विमानपत्तनों पर इन विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जानी है; और
(ग) इन वहनीय खाद्य विक्रय केंद्रों की स्थापना और संचालन की परिचालन लागत के आंकड़े क्या हैं और किस प्रकार इस पहल को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए मूल्य निर्धारण संरचना निर्धारित की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने यात्रियों को किफायती भोजन सुविधा उपलब्ध कराने की नई पहल के रूप में कोलकाता हवाईअड्डे पर 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरूआत की है।

अन्य हवाईअड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' या इसी प्रकार के कम लागत वाले विक्रय- केंद्रों को शुरू करना संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों के अधिकार क्षेत्र में है। खाद्य और पेय सेवाओं सहित गैर-वैमानिक गतिविधियों की कीमतें हवाईअड्डा प्रचालकों और रियायतकर्ताओं द्वारा बाजार की गतिशीलता और वाणिज्यिक कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि वे सरकार द्वारा विनियमित नहीं हैं। इसके अलावा, हवाईअड्डों द्वारा उत्पन्न गैर-वैमानिक राजस्व (खाद्य और पेय पदार्थों सहित) का 30% वैमानिक प्रभारों को क्रॉस-सब्सिडी देने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें कम हो जाती हैं।

******